न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी – श्री सुरेन्द्र प्रसाद आर.ए.एस.

अपील	तारीख रजू	तारीख निर्णय
05 / 08 / 2019	24.06.2019	14.01.2025

उनवान

1 दिनेश शर्मा पुत्र श्री प्रेमराज जाति ब्राहम्ण निवासी मस्जिद मोड, रामगढ काश्तकार ग्राम बरामदा तहसील तहसील नौगांवा जिला अलवर।

....अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत डाबरी जर्ये सरपंच ग्राम पंचायत डाबरी तहसील नौगांवा

....असल प्रतिवादी

2. लैण्ड होल्डर जर्ये तहसीलदार नौगांवा जिला अलवर।

.... तकमीली प्रतिवादी
(अपील, आरटीएक्ट)

उपस्थिति अभिभाषकगण–
श्री दिनेश चन्द शर्मा –वादी

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत अपील पत्र का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी हाल आराजी खसरा नम्बर 728 रकबा 1.02 हैक्ट. वाके ग्राम बरामदा को जर्ये बयनामा दिनांक 22.02.20210 को अवतार कौर, भूपिन्द्र कौर, गुरविन्द्र कौर, जसवीर कौर, पुत्रीयान मोहन सिंह जाति सिख निवासीयान खिलौरा तहसील रामगढ जिला अलवर से खरीद किया था। नियमनुसार अपीलान्ट ने बयनामा की प्रति पटवारी हल्का को नामान्तकरण तस्दीक करवाने हेतु दी थी। पटवारी हल्का ने नियमानुसार इन्तकाल भरकर ग्राम पंचायत को स्वीकृति के लिए दे दिया और पटवारी हल्का द्वारा कहा गया कि आपकी जब जरूरत होगी बुला लेगें इस पर ग्राम पंचायत द्वारा अपीलान्ट के इन्तकाल तस्दीक करते वक्त अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं दी गई और ना ही मौके की जॉच की ओर अपीलान्ट को बिना बुलाये व मौके की जॉच किये बिना ही इन्तकाल नम्बर 230 बेजा तौर पर गलत मानमानि तथ्य लिखते हुए दिनांक 05.01.2011 को खारिज फरमा दिया । अपीलान्ट वक्त बयनाम से आज तक निरन्तर विवादित आरजी पर काबित रहकर काश्त करता चला आ रहा है और आज भी मौके पर अपीलान्ट का कब्जा है, परन्तु ग्राम पंचायत ने बैजा तौर पर यह लिखते हुए की अपीलान्ट का कोई कब्जा नहीं है इन्तकाल खारिज फरमा दिया जबकि इन्तकाल तस्दीक करते वक्त अपीलान्ट को सुना जाना चाहिए था और मौके की जॉच करनी चाहिए थी परन्तु ग्राम पंचायत डाबरी ने अपीलान्ट की कोई इत्तला नहीं कराई और ना ही मौके पर कोई जॉच की ऐसा करने में ग्राम पंचायत ने अपनी भयंकर भूल का परिचय दिया

14.1.25
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ

जो तथ्य काबिल गौर अदालत है। अतः अपील विरूद्व निर्णय ग्राम पंचायत डाबरी दिनांक 05.01.2011 बाबत इन्तकाल नम्बर 230 ग्राम बरामदा को स्वीकार कराने हेतु कानूनन अधिकार है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण कोई उपस्थित नही आया । अतः इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अध्ययन किया गया । वादी के विद्वान वकील की बहस पर मनन किया जिससे प्रतीत होता है कि वादनी द्वारा आराजी खसरा नम्बर 728 रकबा 1.02 हैक्ट. वाके ग्राम बरामदा को जर्ये बयनामा दिनांक 22.02.2010 को अवतार कौर, भूपिन्द्र कौर, गुरविन्द्र कौर, जसवीर कौर, पुत्रीयान मोहन सिंह जाति सिख निवासीयान खिलौरा तहसील रामगढ जिला अलवर से खरीद किया था। उक्त आराजी का इन्तकाल नम्बर 230 बेजा तौर पर गलत मानमानि तथ्य लिखते हुए ग्राम पंचायत डाबरी द्वारा दिनांक 05.01.2011 को खारिज फरमा दिया, जो खिलाफ कानून व खिलाफ मौका है। क्योंकि वादनी ने उक्त आराजी का जर्ये बयनामा दिनांक 22.02.2010 को क्रय किया है, जिससे वह उक्त आराजी का नामान्तकरण दर्ज करवाने का कानूनी अधिकार है। उक्त आराजी के नामान्तकरण संख्या 230 को ग्राम पंचायत डाबरी द्वारा दिनांक 05.1.2011 को अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही नामान्तकरण संख्या 230 खारिज कर दिया गया जिससे अपीलान्ट को अपूरणीय क्षति तथा असुविधा हुई है। अतः बयमाना दिनांक 22.02.2010 का राजस्व रिकॉर्ड में अमल किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अपील अपीलार्थी स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 728 रकबा 1.02 हैक्ट. वाके ग्राम बरामदा को जर्ये बयनामा दिनांक 22.02.2010 को अवतार कौर, भूपिन्द्र कौर, गुरविन्द्र कौर, जसवीर कौर, पुत्रीयान मोहन सिंह जाति सिख निवासीयान खिलौरा तहसील रामगढ जिला अलवर से खरीद किया था। उक्त आराजी का इन्तकाल नम्बर 230 बेजा तौर पर गलत मानमानि तथ्य लिखते हुए ग्राम पंचायत डाबरी द्वारा दिनांक 05.01.2011 को खारिज फरमा दिया जो खिलाफ कानून व खिलाफ मौका है। क्योंकि वादनी ने उक्त आराजी का जर्ये बयनामा दिनांक 22.02.2010 को क्रय किया है, जिससे वह उक्त जमीन का नामान्तकरण दर्ज करवाने का कानूनी अधिकार है। उक्त आराजी के नामान्तकरण संख्या 230 को ग्राम पंचायत डाबरी द्वारा दिनांक 05.1.2011 को अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही नामान्तकरण ग्राम पंचायत डाबरी द्वारा दिनांक 05.1.2011 को अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही नामान्तकरण संख्या 230 खारिज कर दिया गया जिससे अपीलान्ट को अपूरणीय क्षति तथा असुविधा हुई है । संख्या 230 खारिज कर दिया गया जिससे अपीलान्ट को अपूरणीय क्षति तथा असुविधा हुई है ।

अतः नामान्तकरण संख्या 230 पर ग्राम पंचायत डाबरी द्वारा लिये गये निर्णय दिनांक 05.01.2011 को खारिज किया जाता है, तथा तहसीलदार नौगांवा को निर्देशित किया जाता है कि नामान्तकरण संख्या 230 को स्वीकार कर बयनामा दिनांक 22.02.2010 के अनुसार अपीलान्ट का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल किया जावे। इसी अनुरूप पर्चा डिक्री बनाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 14.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14.1.25

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ